



Form LTC

[Rule 163E(6)]

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No:- PUC LIC-20190516032420

Dated :30/05/2019

1. A license is hereby granted to Sumit Kumar S/O Sri Viveka Nanad Singh, Surya Vihar Colony, Rupaspur, PATNA, DANAPUR-CUM-KHAGAUL, Rupaspur, Danapur Cantt S.O, Rupaspur, 801503 to establish a pollution testing station. The P.T.S will be established at MAGADH POLLUTION TESTING CENTRE, KHATA No. - 05, PATNA, DANAPUR-CUM-KHAGAUL, Rupaspur, Sheikhpura S.O (Patna), RUKANPURA, 801503

The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

(a) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

3. The License will be valid from:- 30/05/2019 to 29/05/2021

Date : 30/05/2019

Seal :

(Signature of Licensing Authority)

विशेष कार्य अधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार पटना

The License is hereby renewed from:- to

No 4005 dt. 31/5/19

(Signature of Licensing Authority)

Date:

प्रतिलिपि: 1. श्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेक्षित Sumit Kumar S/O Sri Viveka Nanad Singh, Surya Vihar Colony, Rupaspur, PATNA, DANAPUR-CUM-KHAGAUL, Rupaspur, Danapur Cantt S.O, Rupaspur, 801503

2. सभी अश्व.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को सूचनार्थ एवं आबायक. कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर कॉ विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

नोट:-यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों कं अधीन प्रदान की जाती हैपरिवहन विभाग, स्तिकायाफला

(Signature of Licensing Authority)

विशेष कार्य अधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार पटना

. एकवार्षिक पंजी का, साधारण, जिसमे प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जाँच किये गये मोटर वाहन की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा:

. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या.

I. जाँच किये गये वाहन की निबन्धन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबन्धन का वर्ष.

II. निरीक्षण के समये गैस/धुएँ का स्तर / कार्बन मोनोऑक्साइडका प्रतिशत

2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबन्धन संख्या, निरीक्षण के परिणाम तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकार को अगले माह के पाँच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना.

3. अपने केंद्र पर मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केंद्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना

4. मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम - 115 के उप नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन

5. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2003 के नियम - 163 'ग' के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना

6. अनुज्ञापन प्राधिकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जाँच केंद्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना.

7. प्रदूषण जाँच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जाँच शीघ्र की जाएगी तथा उन्हें जाँच केंद्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र शीघ्र देगा.

8. प्रदूषण जाँचकेंद्र का मालिक चालक को संकेत देते हुए प्रदूषण जाँच केंद्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्यस्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे.

9. प्रदूषण जाँच केंद्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पत्रों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नंबर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी.

10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 3144 दिनांक 05/08/2004 एवं विभागीय परिपत्र संख्या 4064 दिनांक 12/10/2004 में निहित शर्तों का पालन करना होगा

11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे.

12. प्रदूषण जाँच केंद्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी.

13. वाहन प्रदूषण प्रमाण-पत्रों का निर्गमण केंद्र द्वारा केवल ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही किया जाएगा।